न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः 239 / 2022

वादी –

लिखमिचंद पुत्र छीगनलाल जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अमरीदेवी पत्नि छीगनलाल जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
2. ईश्वरराम पुत्र छीगनलाल जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
3. महावीर पुत्र छीगनलाल जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
4. बालुदेवी पत्नि श्रवणराम जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
5. सुवादेवी पत्नि भेरूराम जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
6. आनन्दीलाल पुत्र भेरूराम जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
7. किशनलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
8. किसनलाल पुत्र भेरूराम जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
9. गणेश पुत्र नारायण जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
10. गुलाबचन्द पुत्र घीसा जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
11. गोविन्दराम पुत्र फुलचन्द जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
12. चुन्नीलाल पुत्र शिवबक्ष जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
13. चौथमल पुत्र लिछमण जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
14. जगदीश पुत्र भैरूराम जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
15. जीवणी पत्नि घीसा जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
16. दुला पुत्र खेमा जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
17. प्रकाश पुत्र नारायण जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
18. पूरण पुत्र नारायण जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
19. बंशीलाल पुत्र फुलचन्द जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
20. मदनलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
21. मांगीलाल पुत्र शिवबक्ष जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
22. राजेश पुत्र फुलचन्द जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
23. रामचन्द्र पुत्र घीसा जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
24. रामदेव पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
25. रामनिवास पुत्र भैरूराम जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
26. लक्ष्मीदेवी पत्नि नारायण जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
27. श्रवणकुमार पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
28. संतोष पुत्री फुलचन्द जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
29. सम्पतीदेवी पत्नि रमेश जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
30. मोहनीदेवी पत्नि फुलचन्द जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
31. हनुमान पुत्र लिछमण जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
32. राजस्थान सरकारी जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) नावां।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:49:22 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट
एवं अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट

उपस्थित :— श्री आनन्दीलाल कुमावत अधिवक्ता वादी
श्री सतीश कुमार तहसीलदार नावां

निर्णय

दिनांक :— 09.09.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी की ग्राम मारोठ में कब्जा काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि स्थित चली आ रही है जिसपर निरंतर एवं निर्विवाद रूप से काश्त करता चला आ रहा है। मौजा ग्राम मारोठ पटवार हल्का मारोठ तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 686 रकबा 1.81 हैक्टर भूमि में से 1/28 हिस्सा व खसरा नम्बर 1205 रकबा 1.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 1584/1205 रकाब 0.45 हैक्टर कुल रकबा 2.07 हैक्टर भूमि में से 187/20700 हिस्सा खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता/पति की मृत्यु उपरान्त फौतगी नामांतकरण में वादी का नाम मुकेश पुत्र छीगनलाल व मुकेश पुत्र छगनलाल गलती से दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक एवं सही नाम लिखमिचंद पुत्र छिगनलाल है। वादी के सभी दस्तावेजों एवं सरकार रिकॉर्ड एवं मतदाता पहचान पत्र राशन कार्ड, आधार, कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, भामाशाह कार्ड, विद्युत बिल में वादी का सही नाम लिखमिचंद पुत्र छिगनलाल है। इस प्रकार वादी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। मौजा ग्राम मारोठ पटवार हल्का मारोठ तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 686 रकबा 1.81 हैक्टर व खसरा नम्बर 1205 रकबा 1. 62 हैक्टर, खसरा नम्बर 1584/1205 रकाब 0.45 हैक्टर कुल रकबा 2.07 हैक्टर भूमि वादी का नाम मुकेश पुत्र छीगनलाल व मुकेश पुत्र छगनलाल के स्थान पर लिखमिचंद पुत्र छिगनलाल करने हेतु रिकॉर्ड दुरूस्ती की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 के खिलाफ कार्यवाही को ड्रोप करने पेश कर निवेदन किया प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 अनावश्यक पक्षकार प्रतिवादीगण होने एवं उनके विरूद्ध किसी प्रकार की रिलीफ नहीं चाहते है इसलिए उनको पक्षकार प्रतिवादीगण हटाया जावें। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 को पक्षकार प्रतिवादी हटाया गया। पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत में हेतु नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 32 तहसीलदार नावां स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र में वर्णित भूमि में वादी का नाम मुकेश पुत्र छीगनलाल व मुकेश पुत्र छगनलाल के स्थान पर लिखमिचंद पुत्र छिगनलाल किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:49:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी तहसीलदार नावां के अनुसार मौजा ग्राम मारोठ पटवार हल्का मारोठ तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 686 रकबा 1.81 हैक्टर व खसरा नम्बर 1205 रकबा 1.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 1584/1205 रकाब 0.45 हैक्टर कुल रकबा 2.07 हैक्टर भूमि वादी का नाम मुकेश पुत्र छीगनलाल व मुकेश पुत्र छगनलाल के स्थान पर लिखमिचंद पुत्र छिगनलाल दुरूस्त कर घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम मारोठ पटवार हल्का मारोठ तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 686 रकबा 1.81 हैक्टर व खसरा नम्बर 1205 रकबा 1.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 1584/1205 रकाब 0.45 हैक्टर कुल रकबा 2.07 हैक्टर भूमि वादी का नाम मुकेश पुत्र छीगनलाल व मुकेश पुत्र छगनलाल के स्थान पर लिखमिचंद पुत्र छिगनलाल दुरूस्त कर घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत में लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:49:22 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः– **उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना–कुचामन, राज.**

अज अदालत :– श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादी –

लिखमिचंद पुत्र छीगनलाल जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अमरीदेवी पत्नि छीगनलाल जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
2. ईश्वरराम पुत्र छीगनलाल जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
3. महावीर पुत्र छीगनलाल जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
4. बालुदेवी पत्नि श्रवणराम जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
5. सुवादेवी पत्नि भेरूराम जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
6. आनन्दीलाल पुत्र भेरूराम जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
7. किशनलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
8. किसनलाल पुत्र भेरूराम जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
9. गणेश पुत्र नारायण जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
10. गुलाबचन्द पुत्र घीसा जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
11. गोविन्दराम पुत्र फुलचन्द जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
12. चुन्नीलाल पुत्र शिवबक्ष जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
13. चौथमल पुत्र लिछमण जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
14. जगदीश पुत्र भैरूराम जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
15. जीवणी पत्नि घीसा जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
16. दुला पुत्र खेमा जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
17. प्रकाश पुत्र नारायण जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
18. पूरण पुत्र नारायण जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
19. बंशीलाल पुत्र फुलचन्द जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
20. मदनलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
21. मांगीलाल पुत्र शिवबक्ष जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
22. राजेश पुत्र फुलचन्द जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
23. रामचन्द्र पुत्र घीसा जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
24. रामदेव पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
25. रामनिवास पुत्र भैरूराम जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
26. लक्ष्मीदेवी पत्नि नारायण जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
27. श्रवणकुमार पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
28. संतोष पुत्री फुलचन्द जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
29. सम्पतीदेवी पत्नि रमेश जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
30. मोहनीदेवी पत्नि फुलचन्द जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
31. हनुमान पुत्र लिछमण जाति माली निवासी मारोठ तहसील नावां।
32. राजस्थान सरकारी जरिये तहसीलदार (भू[illegible]) नावां।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:49:22 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमां नम्बर :– 239 / 2022 **निर्णय दिनांक :–** 09.09.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री आनन्दीलाल कुमावत अधिवक्ता वादी को डिक्री दी जाती हैं कि :–

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम मारोठ पटवार हल्का मारोठ तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 686 रकबा 1.81 हैक्टर व खसरा नम्बर 1205 रकबा 1.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 1584/1205 रकाब 0.45 हैक्टर कुल रकबा 2.07 हैक्टर भूमि वादी का नाम मुकेश पुत्र छीगनलाल व मुकेश पुत्र छगनलाल के स्थान पर लिखमिचंद पुत्र छिगनलाल दुरुस्त कर घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.09.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:49:22 IST
Reason: SelfAttested